न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 21/2023

1. श्रवणराम पुत्र लुम्बाराम कुम्हार
2. बाबुलाल पुत्र लुम्बाराम कुम्हार
3. कमली पुत्री लुम्बाराम कुम्हार
4. परमी पुत्री लुम्बाराम कुम्हार
5. समदुडी पुत्री लुम्बाराम कुम्हार

निवासीगण ग्राम भोपालगढ
तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. कालूराम पुत्र नेनाराम
2. कमा पत्नी कालूराम
3. पूजा पुत्री जीवणराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सोवनी पत्नी जीवणराम)
4. भीरम पुत्र जीवणराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सोवनी पत्नी जीवणराम)
5. मनीराम पुत्र जीवणराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सोवनी पत्नी जीवणराम)
6. श्रवणराम पुत्र जीवणराम
7. सुभाष पुत्र जीवणराम
8. सोवनी पत्नी जीवणराम
9. हडमानराम पुत्र स्वरूपराम

सभी जाति भील, निवासीगण भंवरिया नगर (सुरपुरा खुर्द)
तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

10. तहसीलदार भोपालगढ

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ दिनांक 03 अगस्त 2022 प्रकरण संख्या 104/2021 कालूराम व अन्य बनाम कमली इत्यादि

उपस्थित–

श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 3 व 6 से 8
रेस्पो. संख्या 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक :01 अक्टूबर., 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा प्रकरण संख्या 104/2021 कालूराम व अन्य बनाम कमली आदि में पारित आदेश दिनांक 03 अगस्त 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश करने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किय।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्राथीगण–रेस्पो. कालूराम आदि ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 के तहत एक प्रार्थनापत्र ग्राम भंवरिया नगर (सुरपुरा खुर्द) तहसील भोपालगढ स्थित आराजी खसरा संख्या 757/1 रकबा 2.6224 हैक्टेयर बारानी सोयम के संबंध में सेगरिगेंशन तरमीम शुद्धि बाबत प्रस्तुत किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 अगस्त 2022 को स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट ग्राम भंवरिया नगर (सुरपुरा खुर्द) स्थित आराजी खसरा संख्या 757 रकबा 2.7519 हैक्टेयर के खातेदार होकर प्रार्थीगण–रेस्पो. के खेत–पडौसी है। अपीलाण्ट्स का अपनी खातेदारी भूमि पर राजस्व रिकार्ड में तरमीम इन्द्राजात अनुसार ही कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया,जिसकी समुचित समय में अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं हो पायी। हाल ही में रेस्पो. द्वारा अपीलाण्ट्स को बेदखल करने की एलानिया धमकी दिये जाने पर अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी हुई, तब दिनांक 14 दिसम्बर 2022 को आवेदन कर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की गयी और बाद आवश्यक कार्यवाही जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष पेश कर दी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि रेस्पो. द्वारा पूर्व में तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष प्रार्थनापत्र संख्या 01/2021 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183बी के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तहत श्रवणराम व बाबुलाल खिलाफ पेश किया जाकर खसरा संख्या 757/1 की भूमि से बेदखली का आदेश पारित करवाया गया। हळका पटवारी की मौका फर्द के अनुसार खसरा संख्या 757/1 की भूमि खसरा संख्या 757 के उत्तर व कुछ भाग पश्चिम दिशा में स्थित है और मौके पर कब्जे काश्त अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में तरमीम इन्द्राज है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इतना ही नहीं, रेस्पो. ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र के पद संख्या दो में आवागमन का रास्ता बंद होने का तथ्य भी गलत अंकित किया है क्योंकि रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 757/1 में आवागमन का रास्ता खसरा संख्या 758 गैरमुमकिन प्याउ से विद्यमान है, अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 757 में से रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक आवागमन का कोई रास्ता कभी नहीं रहा है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस बाबत भी कोई गौर नहीं किया गया है। अंत में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स पर सम्मनों की विधिवत समुचित एवं सम्यक तामील होने के उपरान्त भी अपीलाण्ट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स द्वारा यह कथन किया जाना सही नहीं है कि विचारण न्यायालय में उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183बी के प्रकरण संख्या 01/2021 कमा व अन्य बनाम बाबूलाल आदि में पारित निर्णय दिनांक 29 जून 2021 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भंवरिया नगर के खसरा संख्या 757/1 रकबा 2.6224 हैक्टेयर पर गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अप्रार्थीगण बाबूलाल आदि का कब्जा साबित होना पाया गया, जिन्हें अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स मियाद–बाधित व सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि –

1. विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर दिनांक 07 जुलाई 2021 को प्रकरण संस्थित किया गया और अप्रार्थीगण के सम्मन जारी किये जाने का निर्देश देते हुए आगामी पेशी 19 जुलाई 2021 मुकर्रर की गयी।
2. अप्रार्थीगण–अपीलाण्ट्स की तलबी हेतु विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं एवं अभिलेख के आधार पर कोई सम्मन जारी होना प्रकट नहीं होता है। कोई तामीलसुदा सम्मन की प्रति अथवा सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जाने की कोई पोस्टल रसीद अथवा तामील बाबत कोई पोस्टल ट्रेकिंग रिपोर्ट आदि भी विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। किसी भी आदेशिका के हाशिये पर सम्मन जारी किये जाने के डिस्पेच नम्बर एवं दिनांक आदि अंकित नहीं है।
3. इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 14 फरवरी 2022 मे **"... अप्रार्थीगण को सम्मन रजि.डाक. से भिजवाने के 06 माह उपरान्त भी मूल लिफाफा प्राप्त नहीं होने से सम्मन तामील माना जाता है। न्ययालय में बार–बार आवज लगाये जाने के बावजूद तथा सम्मन तामीली उपरान्त भी अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षी कार्यवाही अमल में लायी जाकर exparty किया जाता है। .... "**
4. जाहिर है कि उक्त आदेशिका विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुरूप नहीं है और बिना किसी ठोस आधार के अंकित की गयी प्रतीत होती है।

इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को विधिक प्रावधानों के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों को नजरअंदाज करते हुए पारित किया जाना प्रकट होता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हळका (भू.अ.) पटवार मण्डल सुरपुराखुर्द की रिपोर्ट (पेज संख्या 32) में "...

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

ग्राम भंवरिया नगर के खसरा संख्या 757 व 757/1 की तरमीम मौका कब्जा काश्त अनुसार की हुई है एवं खसरा संख्या 757 के चारो तरफ पत्थरों की कच्ची दीवार निकाली हुई है। ...” अंकित है। मगर इस रिपोर्ट बाबत अपीलाधीन आदेश में कोई समुचित विवेचन नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 अगस्त 2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट्स सहित सभी पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर संबंधित तथ्यों, परिस्थितियों, कानूनी प्रावधानों आदि को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का नये सिरे से विधिसम्मतः निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर